

कार्यालय महाप्रबंधक हरियाणा राज्य परिवहन, अम्बाला
विज्ञप्ति

शिक्षुक अधिनियम 1961 के अंतर्गत निम्नलिखित शिक्षुओं को चयन हेतु दस्तावेजों की जांच दिनांक 15.03.2022 को की जाएगी। जिसके लिए शिक्षुओं का विवरण निम्न प्रकार से है :

क्र.सं.	ट्रेड का नाम	शिक्षुओं की संख्या
1.	डीजल मैकेनिक	17
2.	कारपेंटर	3
3.	वैल्डर	4
4.	टॉयरमैन	5
5.	शीट मेटल	2
6.	टर्नर	3
7.	कोपा	1
8.	हिन्दी स्टैनो	2
9.	कुल	37

इच्छुक शिक्षु अपने मूल दस्तावेजों सहित महाप्रबंधक हरियाणा राज्य परिवहन के कार्यालय नजदीक अग्रसेन चौक अम्बाला शहर में प्रातः 10.00 बजे आएंगे जहां उनके सभी मूल दस्तावेजों की जांच की जाएगी। इच्छुक प्रार्थी अपना रजिस्ट्रेशन दिनांक 01.03.2022 से 11.03.2022 तक Website <http://www.apprenticeshipindia.org> पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। दिनांक 01.03.2022 से पहले व दिनांक 11.03.2022 को रात्रि 12 बजे के बाद किया गया रजिस्ट्रेशन मान्य नहीं होगा। इच्छुक प्रार्थी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की कापी मूल दस्तावेजों उनकी फोटो प्रति साथ लाएं। सफल शिक्षुओं का चयन आई.टी.आई. के मार्कशीट की मैरिट के आधार पर किया जाएगा। मैरिट सूची के अनुसार चयनित रिक्त पड़े पदों के विरुद्ध सफल प्रार्थियों का चयन किया जाएगा।

महाप्रबंधक

हरियाणा राज्य परिवहन, अम्बाला

कार्यालय महाप्रबंधक हरियाणा राज्य परिवहन, अम्बाला।

विज्ञापित

शिक्षक अधिनियम 1981 को अन्तर्गत निम्नलिखित शिक्षकों को भयन हेतु दस्तावेजों की जांच दिनांक 18.03.2022 को की जाएगी। जिसके लिए शिक्षकों का विवरण निम्न प्रकार से है -

क्रमांक	दूक का नाम	शिक्षकों की संख्या
1	डीजल मशीनिक	17
2	कारपेटर	3
3	वेल्डर	4
4	टीयरमेन	5
5	सीट मेटल	2
6	टर्नर	3
7	कोपा	1
8	हिन्दी स्टेनो	2
	कुल	37

दरभुक्त शिक्षक अपने मूल दस्तावेज सहित महाप्रबंधक हरियाणा राज्य परिवहन के कार्यालय नजदीक अमरीक चौक अम्बाला शहर में प्राय: 10 बजे आकर जहाँ उनके सभी मूल दस्तावेज देकर लिए जाएंगे। दरभुक्त प्रार्थी अपना रजिस्ट्रेशन दिनांक 01.03.2022 से 11.03.2022 तक Website <http://www.apprenticeshipindia.org> पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। दिनांक 01.03.2022 से पहले वे दिनांक 11.03.2022 को रात्रि 12 बजे के बाद किया गया रजिस्ट्रेशन मान्य नहीं होगा। दरभुक्त प्रार्थी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की कॉपी मूल दस्तावेज उनकी फोटों प्रति साथ साथ सफल शिक्षकों का भयन आईटीआई के मार्कशीट की मैरीट के आधार पर किया जाएगा। मैरीट सूची के अनुसार अर्हता प्राप्त पढे पढ़ी के विरुद्ध सफल प्रार्थियों का भयन किया जाएगा।

महाप्रबंधक

हरियाणा राज्य परिवहन

(दस्तावेजों के साथ)

दिनांक 25-02-2022

फ़ोन नंबर 718

/ईसीजी

अर्हता की एक-एक प्रति निम्नलिखित को सूचनाएं प्रेषित हैं -

1. निदेशक राज्य परिवहन हरियाणा अम्बाला (कम्प्यूटर सेल)
2. आईटीआई अम्बाला शहर।

महाप्रबंधक

हरियाणा राज्य परिवहन

अम्बाला।